प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय) हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (बजट) के पत्र संख्या-45/आई0बी0/अनु0सं0-94, दिनांक 17.4.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत पूंजी लेखा में ए0आई0बी0पी0 वित्त पोषित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 200,00,00,000.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित राज्यांश से अधिक निर्गत होने वाली धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि में कर लिया जायेगा, इसका अनुपालन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रत्येक दशा में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन मानी जाएगी।

(2) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रश्नगत योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का बकाया केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराये जाने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अधीन ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। कार्यों की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे ।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जाएगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा ।

(8) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(10) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-9 को प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाय ।

(11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्रधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये ।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाएगा ।

(13) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना प्रथम एवं द्वितीय प्रत्येक माह व्यय किए जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(14) परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि सर्वप्रथम 670हे0 भूमि के क्रय पर वहन की जायेगी तथा भूमि क्रय करने के तत्काल बाद प्रस्तावित कार्य कराये जायेंगे।

(15) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष पूर्व में निर्गत शासनादेशों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

---3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-17-सरयू नहर परियोजना(वाणिज्यिक)-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य(ए.आई.बी.पी.पोषित)(के060/रा040-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1088/दस-2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

शिव कुमार पाठक

उप सचिव।

संख्या-66/2017/1387(1)/17-27-सिं-9-49एसएवी/08 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।

(4) प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(6) मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।

(8) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

शिव कुमार पाठक

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।